**ओ३म्**

**‘क्या जघन्य अपराधियों को मृत्यु-दण्ड फांसी अपरिहार्य नहीं है?’**

**-मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून।**

मनुष्य सत्य का मार्ग छोड़कर अपराध के मार्ग पर अज्ञानतावश या अनेक बार जानबूझकर व ज्ञानपूर्वक भी चलता है। सभी स्वतन्त्र देश अपने नागरिकों के लिए आचार संहित या कहिये कि बुरे आचरण को रोकने व अच्छा आचरण करने के लिए कर्तव्य व अकर्तव्यों के नियम बनाते हैं। अच्छा आचरण करने के लिए कानून में किसी दण्ड का प्राविधान नहीं होता परन्तु बुरे काम करने के लिए दण्ड का विधान किया जाता है। दण्ड मनुष्य के सुधार के साथ समाज में अपराधी मनोवृत्ति के लोगों को अपराध से दूर करने के लिए उनमें डर उत्पन्न करने व अपने किये की सजा वा फल भोगने के लिए दिया जाता है जिससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ आत्म-सन्तोष मिल सके। दण्ड देने व दण्ड के भय से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपराध छोड़ कर अन्य नागरिकों के समान कार्य व व्यवहार करें, यह उद्देश्य भी होता है। जो लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं उन्हें पुरस्कार भी दिये जाते हैं। अतः मनुष्य को बुरे कार्य नहीं करने चाहिये जिससे वह कानूनी व ईश्वरीय दण्ड से बचा रहे।

बुरे काम मनुष्य अज्ञानता के कारण भी करता है और यदि वह मन-वचन-कर्म से सच्चा है तो अपने गलती का ज्ञान होने पर वह प्रायश्चित करता है और शीघ्र ही छोड़ भी देता है। कई लोग जानते हैं कि अमुक अमुक काम बुरा है और कानून में दण्डनीय भी है परन्तु फिर भी अपने स्वार्थ व ईष्र्यावश उस काम को कर डालते हैं। बुरे कामों में भी कई काम ऐसे होते हैं जो साधारण कोटि के न होकर बहुत ही जघन्य, कू्ररतापूर्ण व नृशंसता के होते हैं जिनके लिए दण्ड भी अपराध के अनुसार व उतनी मात्रा में देना उचित होता है। यदि उन्हें अपराध के अनुरूप व उससे अधिक दण्ड न मिले तो वह अधिक बार अपराधों को करेंगे जिससे समाज के लोगों में असुरक्षा व भय का वातावरण बनेगा जिससे कानून व्यवस्था समाप्त हो जायेगी, और हो सकता है कि, भले लोग भी अपराधी को खुद ही दण्ड देने के लिए बुरे काम करने लगें जिसे पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा होगा तो समाज व देश से शान्ति पूरी तरह से भंग हो सकती है और सर्वत्र अव्यवस्था फैल जायेगी। अतः कठोर से कठोर कानून बना कर अपराधों को रोकना चाहिये जिससे कोई भी अपराधी अपराध करने से पूर्व दण्ड पर विचार कर अपराध करना त्याग दे। दण्ड के साथ यह भी आवश्यक होता है कि अपराधी को शीघ्र व तुरन्त दण्ड मिले। कहा गया है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। भारत की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहां न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। बहुत से संगीन अपराधी सबूत के अभाव में छोड़ दिये जाते हैं। दूसरी बात यह भी होती है अपराध से ग्रसित व्यक्ति खर्चीली कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता और व्यवस्था वाले लोग अपराधियों से सांठ गाठ कर उन्हें बरी करा देते हैं। अतः प्रश्न उठता है कि अपराधों को रोका कैसे जाये?

 अपराधों को रोकने का एक ही उपाय है कि देश के स्कूलों में सत्य व सदाचार पर आधारित नैतिक व धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिये। बच्चों को स्कूलों में योगाभ्यास कराया जाना चाहिये और बुरे कामों व अपराधों के प्रति भय व घृणा उत्पन्न करनी चाहिये। यदि फिर भी कोई अपराध करे तो उसको यथाशीघ्र कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये जिससे अपराधी व समाज के अन्य लोग अपराध करने से डरे। बहुत से अपराध साधारण कोटि के न होकर हत्या व देश की एकता व अखण्डता को नष्ट करने वाले होते हैं। ऐसे मामलों में तो कठोरतम दण्ड का प्राविधान होना चाहिये और इनके लिए अदालतें अलग से होनी चाहिये जो कम से कम समय में निर्णय करें। यदि ऐसे मामले वरिष्ठ न्यायाधीशों की अदालतों में भेजे जाएँ जहां एक बार निर्णय होने पर अपील का प्राविधान न हो तो बहुत अच्छा हो। **जितनी जल्दी न्याय होगा और कठोर दण्ड अपराधकर्त्ता को मिलेगा उतना ही समाज में अपराध कम होंगे।** आज समाज में बढ़ते अपराध यही बता रहे हैं कि अपराधी कानून व सजा से नहीं डरते। या तो अपराध कराने वाले उनका ब्रेन वाश कर देते हैं या फिर उन्हें अपने कालेधन व अपने रसूकदारों पर विश्वास होता है जिसमें राजनीतिक दलों के बड़े बड़े प्रभावशाली नेता भी होते हैं। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कि एक ही परिवार के अनेक लोगों की दिन-दहाड़े खुले आम हत्या, सामूहिक बलात्कार, लड़कियों पर तेजाब फेंकना, देश के सुरक्षा कर्मियों के प्रति गम्भीर अपराध आदि घटनायें होती हैं और महीनों बीत जाने पर भी अपराधियों को किन्हीं कारणों से पकड़ा नहीं जा पाता व जिन पर शक होता है उन्हें कानूनी दांव-पेच व सरकारी मशीनरी की गलतियों व खामियों के कारण रिहा कर दिया जाता है। इससे लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास हिलने लगता है। जनता का यह विश्वास पुनः उत्पन्न हो सकेगा, कहा नहीं जा सकता। टीवी पर दिन प्रतिदिन होने वाली बहसों व वहां पर कुछ लोगों द्वारा अपराधियों व उनके राजनीतिक आकाओं की तरफदारी को देख कर लोगों में निराशा का वातावरण बन गया है। आज अनेक स्थानों पर निरपराध लोग बाहुबलियों, माओवादियों, नक्सलियों के आतंक से भयभीत हैं जिन्हें न तो सरकार से संरक्षण प्राप्त है और न आसपास के व्यक्ति ही उन्हें अपराधियों के डर के कारण उनका साथ देते हैं। अतः संबंधित सरकारों को अपराधियों की गिरिफतारी और उनको शीघ्र सजा दिलाने के विषय पर उच्चस्तरीय विचार कर खामियों को दूर करना चाहिये परन्तु कुछ सरकारों से जनता का विश्वास उठ चुका है।

 क्या गम्भीर व जघन्य अपराधियों को फांसी वा मौत की सजा दी जानी चाहिये तो इसका उत्तर है कि किसी भी मौत व अन्य जघन्य अपराध के असली अपराधी को अवश्य फांसी व उससे भी कठोर दण्ड, यदि कोई हो, तो अवश्य दिया जाना चाहिये। इससे न केवल अपराधी को उसके गलत काम का दण्ड ही मिलेगा अपितु समाज के लोगों में सन्देश जायेगा कि यदि उन्होंने कुछ उन अपराधियों जैसा कार्य किया तो उनका भी वही हश्र हो सकता है। इससे समाज में अपराधों में कमी आयेगी और देश के नागरिकों में अपराधों के कारण जो भय होता है, वह किेंचित दूर होगा। यदि फांसी का दण्ड बन्द कर दिया जाये तो निश्चित ही देश में अपराधों की संख्या में आशा से कहीं अधिक वृद्धि होगी। देश की सरकार व अपराधों को रोकने के लिए कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना कर्तव्य पूरी सतर्कता व सत्यनिष्ठा से निभाना चाहिये। यदि वह ऐसा करेंगे तो कोई कारण नहीं कि अपराध समाप्त न हों या न्यूनतम हों। इसके लिए कठोर दण्ड दिया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं पूरी तरह से उचित है। हमें याद है कि पंजाब में वर्षों पूर्व प्रत्येक दिन हिंसात्मक आतंकवादी घटनायें होती थी परन्तु जब वहां के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक ने आतंकियों को मारना आरम्भ किया तो पंजाब से आतंक समाप्त हो गया। यह बात अलग है कि उन न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री बेअन्त सिंह को 31 अगस्त, 1995 को आतंकियों के हाथ अपनी जान गंवानी पड़ी। यदि बेअन्त सिंह ऐसा न करते तो शायद ही पंजाब से आतंकवाद कभी समाप्त हो पाता। यह भी तथ्य है कि पंजाब में आतंकवाद के चलते ही देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की गई थी।

 प्रश्न उठ सकता है कि फांसी का दण्ड न देकर जघन्य अपराध करने वालों को आजीवन कारावास क्यों न दे दिया जाये? इसका समाधान तो यही है कि जिसने किसी निरपराध मनुष्य की जानबूझकर जान ली है, उसे पकड़े जाने पर जीवित क्यों छोड़ा जाये? क्या निर्दोष मारे गये व्यक्ति को जीने का अधिकार नही था जिसे हत्यारे ने छीना है। यदि उस निर्दोष को अकारण मरना पड़ा तो उसके अपराधी को जीवित रखना मानवीयता नहीं अपितु शासन व सरकार पर मारे गये व पीड़ित परिवार के प्रति अपराध बनता है जिसके लिए सारा तन्त्र ही अपराधी मानना पड़ेगा। अतः अपराधी को उसके अपराध के अनुरुप व उससे कुछ अधिक दण्ड देना ही न्यायोचित है जिससे देश का उन अपराधों से पिण्ड छूट जाये और समाज में लोग अपराध करना छोड़ दें।

 फांसी का दण्ड इसलिए देना भी उचित है कि हत्या व उससे भी अधिक जघन्य अपराध करने वाले ने देश के कानूनों का उल्लधंन कर देश के संविधान व व्यवस्था को चुनौती दी है और किसी निरपराध को मारा है जिसके जीवन की रक्षा का भार देश व प्रदेश की सरकार व न्यायव्यवस्था पर था। उस अपराधी व्यक्ति को अपनी कोई समस्या यदि थी तो उसे शान्तिपूर्वक सरकार व संबंधित सरकारी विभाग को प्रस्तुत करना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं होता। वह चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कर, ब्लैकमेलिंग, फिरौती, आतंकी हत्या आदि अपराध अपने निजी व अपने आकाओं के हितों की पूर्ति के लिए करते हैं जिससे सरकार व उसकी मशीनरी की क्षमता पर प्रश्न उठते हैं। उसका एक ही उचित समाधान है कि अपराध करने वाले को उसके अपराध के अनुकूल शीघ्र सजा दी जाये और पुलिसकर्मी अन्य अपराधों को दूर करने में सक्रिय हो सकें। यदि किसी अपराधी ने हत्या की व उसके अपराध से किसी का जीवन नष्ट हुआ है तो उसे मृत्यु वा फांसी के दण्ड सहित और कठोर यातनायें दी जानी चाहियें, यही न्याय है। यथायोग्य व्यवहार, खून का बदला खून व शठे शाठयम् समाचरेत जैसे कथनों को व्यवस्था से जुड़े लोगों को याद रखना चाहिये। यदि फांसी का दण्ड समाप्त कर दिया गया तो यह मृतक व अन्य पीड़ितों के प्रति सरकार की ओर से अन्याय होगा और अन्य देशभक्त अनुशासन प्रिय नागरिकों के मन में भय व शंकाओं सहित उनके प्रति अविश्वास को जन्म देगा जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः अपराध के अनुसार दण्ड मिलना चाहिये जिसमें फांसी भी एक है। फांसी का दण्ड बरकरार रहना ही चाहिये और किसी भी दबाव व अन्य कारणों से समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। आज देश में जिस प्रकार से अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं उसमें फांसी के दण्ड का प्राविधान होना अत्यन्त आवश्यक है। आवश्यकता फांसी के दण्ड को समाप्त करने की नहीं अपितु अपराधियों को शीघ्रातिशीघ्र दण्डित करने की है।

  **-मनमोहन कुमार आर्य**

**पताः 196 चुक्खूवाला-2**

**देहरादून-248001**

**फोनः09412985121**